न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस

अपील संख्याः 28/2023
(जीसीएमएस संख्या 2023/178)

निर्णय दिनांकः– 03-01-2024

1. विद्यादेवी पत्नि राजकुमार जाति माली निवासी घावड़ियों का मौहल्ला तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी कोलायत
दिनांक 31–03–2023

उपस्थितः

1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी कोलायत के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2023 जिसके द्वारा अपीलांट् की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि को कानून के विपरीत जाकर निरस्त किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् की खातेदारी भूमि वाके ग्राम चाण्डासर के खेत खसरा नम्बर 53 तादादी 0.50 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि का अपीलांट् द्वारा संपरिवर्तन ईंट भट्टे हेतु करवाया जाने के उपरान्त नियमानुसार ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के विरूद्व धारा 177 आरटीए के तहत विधि विरूद्व तरीके से कार्यवाही करते हुए अपीलांट् की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है।

उन्होनें आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा धारा 177 के तहत पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया। उक्त रिपोर्ट में अभिलिखित किया गया कि ग्राम चाण्डासर के खेत खसरा नम्बर 53 में 0.50 हेक्टर भूमि पर मौका निरीक्षणनुसार में ईंट भट्टा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है तथा भूमि के रिकार्ड अनुसार रूपान्तनतरण नहीं कराया हुआ है। जबकि अपीलांट् द्वारा नियमानुसार अपने धारण की भूमि का रूपान्नतरण संबंधित विभाग से करवाये जाने के उपरान्त की ईंट भटट् का संचालन किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर किये बिना ही व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही अपीलांट् के विधिक अधिकारों को समाप्त किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट् द्वारा मौके पर कभी भी अवैध रूप से ईंट भट्टे का संचालन का कार्य नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत की कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। ऐसा आदेश कानून की परिभाषा में शून्य आदेश की परिभाषा में आता है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा कथन किया गया कि चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट् द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के कारण अंकित किये गये है। अतः अपीलांट् की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। पटवारी रिपोर्ट के

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अनुसार खातेदारी भूमि में ईंट भट्टे का अवैध खनन करने पर तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 177 आरटीए के तहत वाद पेश किया। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलांट द्वारा अपनी कृषि भूमि पर अकृषि कार्य अर्थात ईंट भट्टा संचालन का कार्य किया गया है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के मूल स्वरूप को परिवर्तित कर दिया गया है। जो कृषि भूमि को हानि पहुँचाने वाला कार्य है। अपीलांट का उक्त कृत्य आवंटन नियमों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रक्रिया के अनुसार वाद का निस्तारण किया है जो कायम रखा जावे एवं अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष तहसीलदार राजस्व ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त वाद में तहसीलदार, कोलायत द्वारा अभिकथन किया गया कि वादगत् भूमि जो कृषि कार्य हेतु प्रतिवादी को आवंटित की गई थी, पर अकृषि कार्य अर्थात अवैद्य ईंट भट्टे संचालन कार्य किया जा रहा है। अतः प्रतिवादी को आवंटित भूमि को पुनः रकबाराज धोषित किया जावे। अदालत मातहत द्वारा स्टेट का वाद स्वीकार करते हुए वादगत् भूमि को आराजीराज दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) हमने अदालत मातहत की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया। संबंधित पटवारी द्वारा वादगत् भूमि के बावत् प्रस्तुत रिपोर्ट में यह अंकन किया गया है कि वह मौके पर पहुँचा, मौके पर कोई उपस्थित नहीं मिला। संबंधित पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में वादगत् भूमि के मौके की रिपोर्ट तैयार करते समय न तो खनन विभाग के किसी प्रतिनिधि को शामिल किया गया व ना ही मौके के फोटोग्राफ आदि ही प्रस्तुत किये गये है। जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि पर क्या वास्तव स्वीकृतशुदा लीज से अधिक भूमि पर खनन का कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं? मौका रिपोर्ट पर केवल मात्र पटवारी के हस्ताक्षर है उसके अतिरिक्त मौके पर उसके साथ उपस्थिति अन्य किसी व्यक्ति के व्यान रिपोर्ट में अंकित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि वादगत्

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

भूमि के बाबत् प्रस्तुत रिपोर्ट अधूरी व एकमात्र पटवारी द्वारा ही तैयार किया जाना साबित है।

(3) प्रकरण में पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य भी जाहिर होता है कि अपीलांट् द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम चाण्डासर के खेत खसरा नम्बर 53 तादादी 0.50 हेक्टर भूमि के बाबत् ईंट भट्टा संचालन हेतु संपरिवर्तन करवाये जाने बाबत् अनुज्ञा पत्र दिनांक 10–01–2013 को जारी किया गया था। इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी, कोलायत स्वयं के द्वारा दिनांक 26–12–2019 को आराजी जैर के बाबत् संपरिवर्तन आदेश जारी करते हुए ईंट भट्टा संचालन की स्वीकृति आदेश जारी किये गये थे। उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलांट्/प्रार्थिया द्वारा नियमानुसार अपने धारण की भूमि के बाबत् कृषि भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन अर्थात ईंट भट्टा संचालन हेतु संपरिवर्तन आदेश दिनांक 26–12–2019 को प्राप्त करने के उपरान्त ही अपनी जोत में ईंट भट्टा संचालित किया जा रहा था।

(4) अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य की भलींभांति जॉच की जानी चाहिए थी क्या वास्तव में अपीलांट द्वारा ही वादगत् भूमि पर स्वीकृतशुदा लीज से अधिक भूमि पर खनन का कार्य किया जा रहा है। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की खातेदारी भूमि को आराजीराज करने के आदेश प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में बिना वाद प्रकिया को अपनाये ही अपीलांट् की भूमि को आराजीराज दर्ज किया जाना किसी भी परिस्थिति में युक्तियुक्त व न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का आदेश दिनांक 31–03–2023 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 3/1/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर